आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 570 से अधिक मामले दर्ज

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली में पांच फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कथित उल्लंघन के 570 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ये मामले सात जनवरी (जब आदर्श आचार संहिता लागू हुई) से लेकर 23 जनवरी के बीच दर्ज किए गए। एक बयान के अनुसार, इस अवधि के दौरान आबकारी अधिनियम सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत कुल 19,065 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बयान के मुताबिक, मतदान से पहले, पुलिस ने सीमा चौकियों पर सतर्कता बढ़ा दी है और हथियारों, शराब व मादक पदार्थों की तस्करी सहित अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की है। बयान में बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने आचार संहिता के कथित उल्लंघन के 577 मामले दर्ज किए हैं और 284 अवैध हथियार व 394 कारतूस जब्त किए हैं।

गश्त के दौरान बुलेट से पटाखे फोड़ते पकड़े जाने पर कार्रवाई

विधायक अमानतुल्ला के बेटे समेत दो पर पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार का आरोप

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

खास बात

- पुलिस ने बुलेट जब्त कर 20 हजार का चालान किया

दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर क्षेत्र में आप विधायक अमानतुल्ला खान के बेटे समेत दो पर कार्रवाई की है। इन पर पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और बुलेट से पटाखे फोड़ने का आरोप है। पुलिस ने इनकी बुलेट जब्त कर मोटा चालान किया है। इसके साथ ही दुर्व्यवहार को लेकर थाने में सामान्य डायरी (जीडी) एंट्री भी की गई है।

पुलिस के अनुसार यह घटना गुरुवार रात जामिया नगर इलाके में सामने आई। पुलिस गणतंत्र दिवस व विधानसभा चुनावों को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से गश्त पर थी। इसी दौरान दो व्यक्ति बेतरतीब ढंग से मोटरसाइकिल चला रहे थे तथा परिवर्तित 'साइलेंसर' से तेज आवाज निकाल रहे थे। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तो उनमें से एक ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा होने का दावा किया। उसने पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उसके पिता की वजह से उसे निशाना बनाया जा रहा है। उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद अमानतुल्लाह खान को भी फोन किया और कहा कि इलाके का एसएचओ बदमाशी कर रहा है। खान ने एसएचओ से भी बात की। इसके बावजूद भी दोनों अपना नाम और पता बताए बिना पैदल चले गए। पुलिस ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसने 20,000 रुपये का चालान किया है। इसके साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई।

जिम ट्रेनर की हत्या में वांटेड छेनू गैंग का शूटर गिरफ्तार

- ऑटोमैटिक पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

क्राइम ब्रांच ने इरफान उर्फ छेनू गैंग के शूटर को गिरफ्तार किया है। यह त्रिलोकपुरी में जिम ट्रेनर की हत्या में वांटेड था। गिरफ्तार बदमाश का नाम शोएब बताया गया है। इसे दिल्ली, बिजनौर, अजमेर और हरियाणा में कई स्थानों पर लगातार छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। हत्या में इस्तेमाल की गई ऑटोमैटिक पिस्टल और चार जिंदा कारतूस भी इसके पास से बरामद हुये हैं। शोएब मधु विहार इलाके का कुख्यात अपराधी है और किशोरावस्था में ही वह दो हत्या के मामलों में शामिल रह चुका था। डीसीपी विक्रम सिंह के अनुसार पूर्वी रेंज-1, क्राइम ब्रांच की टीम ने शोएब को पकड़ा। 12 दिसंबर 2024 को कल्याणपुरी थाने में दर्ज हत्या के मामले में वह मुख्य शूटर था। इसने जिम ट्रेनर रवि यादव (32) वर्ष को गोलियों से भून दिया था। हत्या की साजिश में शामिल तीन आरोपियों को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य शूटर सोनू उर्फ बंगाली और शोएब का पता नहीं चल सका था। टीम ने शुरुआत में दोनों आरोपी व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए गए सोशल मीडिया खातों के बारे में जानकारी विकसित की और फरार व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों से पूछताछ के बाद जानकारी विकसित की। फरार शूटरों में से एक सोनू उर्फ बंगाली को 2 जनवरी को अजमेर में ट्रैक किया गया था। उस दौरान शोएब अजमेर शरीफ दरगाह की भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया था।

भारतीय रेल
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2024/Track-III/MC/2 नई दिल्ली, दिनांक 24.01.2025

शुद्धिपत्र क्रमांक 1

विषय : ई–निविदा क्रमांक. टीएम–2401 रेल निरीक्षण वाहन की खरीद और इसके संचालन और रखरखाव के लिए

विषय निविदा की अंतिम तिथि 30.01.2025 (गुरुवार 15:00 बजे) को 18.03.2025 (मंगलवार 15:00 बजे) तक स्थगित कर दी गई है।

विषय निविदा के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।

(अनुराग कुमार)
निदेशक रेलपथ आधुनिकीकरण
रेलवे बोर्ड
दूरभाष 011–47845530
ई मेल: anurag.irse05@gov.in

268/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

15 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल व्यक्ति पकड़ा

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 15 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में करीब तीन साल से फरार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्रफुल्ल कुमार नायक ने कोरोना महामारी के दौरान खुद को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का अधिकारी बताकर कई लोगों को भारी चूना लगाया था।

इसने मंत्रालय का काम दिलवाने का लोगों से वादा किया था। एक शख्स से चार करोड़ की ठगी हुई थी। पुलिस के अनुसार महामारी के दौरान कोविड-19 रोधी टीके के परिवहन से संबंधित कार्य आदेश का वादा करके इसने ठगी को अंजाम दिया था। 2022 में सुनील कौशिक नामक व्यक्ति की शिकायत के बाद इसकी तलाश शुरू हुई थी। कौशिक ने आरोप लगाया था कि कोविड-19 रोधी टीका के परिवहन के लिए सरकारी अनुबंध हासिल करने के नाम पर उससे चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। चार अतिरिक्त शिकायतों में भी इसी तरह की कार्यप्रणाली का खुलासा हुआ था। जिसमें 15 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप था।

जांच में पता चला कि मई 2021 में आरोपी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुख्यालय निर्माण भवन के परिसर में पीड़ितों से मीटिंग आयोजित करके उन्हें जाल में फंसाया था। इसके द्वारा जाली कार्य आदेश जारी किए गए जिसमें मंत्रालय के भी कुछ भ्रष्ट कर्मचारी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि नायक से पहले सरगना हरमन सभरवाल समेत आठ अन्य आरोपियों को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इनमें मंत्रालय का एक रिसेप्शन अधिकारी और दो मल्टी-टास्किंग स्टाफ भी शामिल थे। आरोपी मूलरूप से उड़ीसा का रहने वाला है। दिल्ली में वह पांडव नगर में रहता था।

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आबकारी विभाग ने जब्त की शराब की 20,000 बोतलें

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पिछले पखवाड़े में अवैध शराब की करीब 50 लाख रुपये कीमत की 20,000 बोतलें जब्त की हैं। विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई अवैध शराब में 15,376 लीटर देशी और विदेशी शराब (आईएमएफएल) शामिल है। साथ ही लगभग 1.5 करोड़ की कीमत के 32 वाहन भी जब्त किए गये हैं। उन्होंने बताया कि अवैध शराब जब्ती से संबंधित 52 मामले दर्ज किये गये है। आचार संहिता लागू होने के बाद से राजधानी में जब्त की गई शराब का यह 25 प्रतिशत है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आबकारी खुफिया ब्यूरो (ईआईबी) की टीमें पड़ोसी राज्य हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर नजर रखने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हैं।

दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है और मतगणना 8 फरवरी को होगी। इन दोनों दिनों को दिल्ली में शुष्क दिवस (मद्य निषेध) घोषित किया गया है। सात जनवरी को विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ईआईबी टीमों ने बृहस्पतिवार रात बुराड़ी और महिपालपुर में दो वाहनों को रोका और अवैध शराब की 5,000 बोतलें (3,600 लीटर) जब्त की। जब्त की गई शराब की कीमत 12 लाख रुपये आंकी गई है। आबकारी टीम ने अपनी पहली कार्रवाई के दौरान एक ट्रक का 14 किलोमीटर तक पीछा किया। ट्रक जीटी करनाल रोड के जरिए दिल्ली में दाखिल हुआ था और इसे बुराड़ी में रोका गया। ट्रक से हरियाणा में बिक्री के लिए 253 पेटियों में रखी गई शराब की 3,036 बोतलें जब्त की गईं। दूसरी कार्रवाई में, महिपालपुर में एक मिनी-ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक में 151 पेटियों में 1,812 बोतलें पाई गईं जिनमें कुल 1,317 लीटर शराब थी।

अवैध शराब की समस्या को नियंत्रित करने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा

आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत सीमित संसाधनों और कर्मियों के बावजूद अवैध शराब की समस्या को नियंत्रित करने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से हमारी टीमें प्रतिदिन औसतन तीन प्राथमिकी दर्ज कर रही हैं और रोजाना 1,000 लीटर शराब जब्त कर रही हैं।₹ अधिकारी ने बताया कि अंतरराज्यीय सीमाओं, खास कर हरियाणा के साथ लगने वाली सीमाओं पर गश्त और जांच को कड़ा किया गया है क्योंकि ये इलाके गैर-अनुरूपित क्षेत्र (नॉन-कन्फॉर्मिंग एरिया) में आते हैं और यहां शराब की दुकानें नहीं होतीं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, आबकारी विभाग ने होटलों, क्लबों और बारों को ₹कूपन-आधारित और सामूहिक बुकिंग₹ से बचने के निर्देश जारी किए हैं।

सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
CIN: L65999DL1985PLC019846
पंजीकृत कार्यालय : ई–253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट्स, 25, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज नई दिल्ली 110092
E-Mail: info@sidhmanagement.in; Website: www.sidhmanagement.in
31 दिसम्बर 2025 को समाप्त तृतीय तिमाही और नौ माह हेतु अअंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार
[सेबी (एलओडीआर) नियमनों, 2015 के नियमन 47(1)(बी) देखें]

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	अअंकेक्षित		
		समाप्त तिमाही 31 दिसम्बर 2024	समाप्त नौ माह 31 दिसम्बर 2024	समाप्त अनुकूल तिमाही 31 दिसम्बर 2023
1	प्रचालनों से कुल आय	(18.258)	72.846	19.267
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	(24.057)	48.487	15.825
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(24.057)	48.487	15.825
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	(24.054)	48.490	15.825
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(24.054)	48.490	15.825
6	इक्विटी शेयर कैपिटल	211.750	211.750	211.750
7	रिजर्व्स (पूर्ववर्ती वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-
8	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10 प्रत्येक के) (वार्षिकृत नहीं) बेसिक एवं डायल्युटेड	(1.136)	2.290	0.747

टिप्पणी : उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के पास दायर किये गये 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तैमाहिक अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स यथा www.msei.in पर उपलब्ध हैं। ये कम्पनी की वेबसाइट यथा www.sidhmanagement.in पर भी उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते सिध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता/–
दिनेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन नं. : 07526355

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 24 जनवरी 2025

यातायात व्यवस्था – गणतंत्र दिवस समारोह – 26 जनवरी, 2025

परेड का मार्गः विजय चौक–कर्तव्यपथ–सी–हेक्सागन–R/A नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा–तिलक मार्ग–बहादुर शाह ज़फर मार्ग–नेताजी सुभाष मार्ग–लाल किला

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2025 को मनाया जाएगा। परेड 1030 बजे विजय चौक से प्रारंभ होगी और लाल किला मैदान पर समाप्त होगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट पर 0930 बजे इससे संबंधित कार्यक्रम होगा। मार्ग पर परेड के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत यातायात व्यवस्था और प्रतिबंध होंगे।

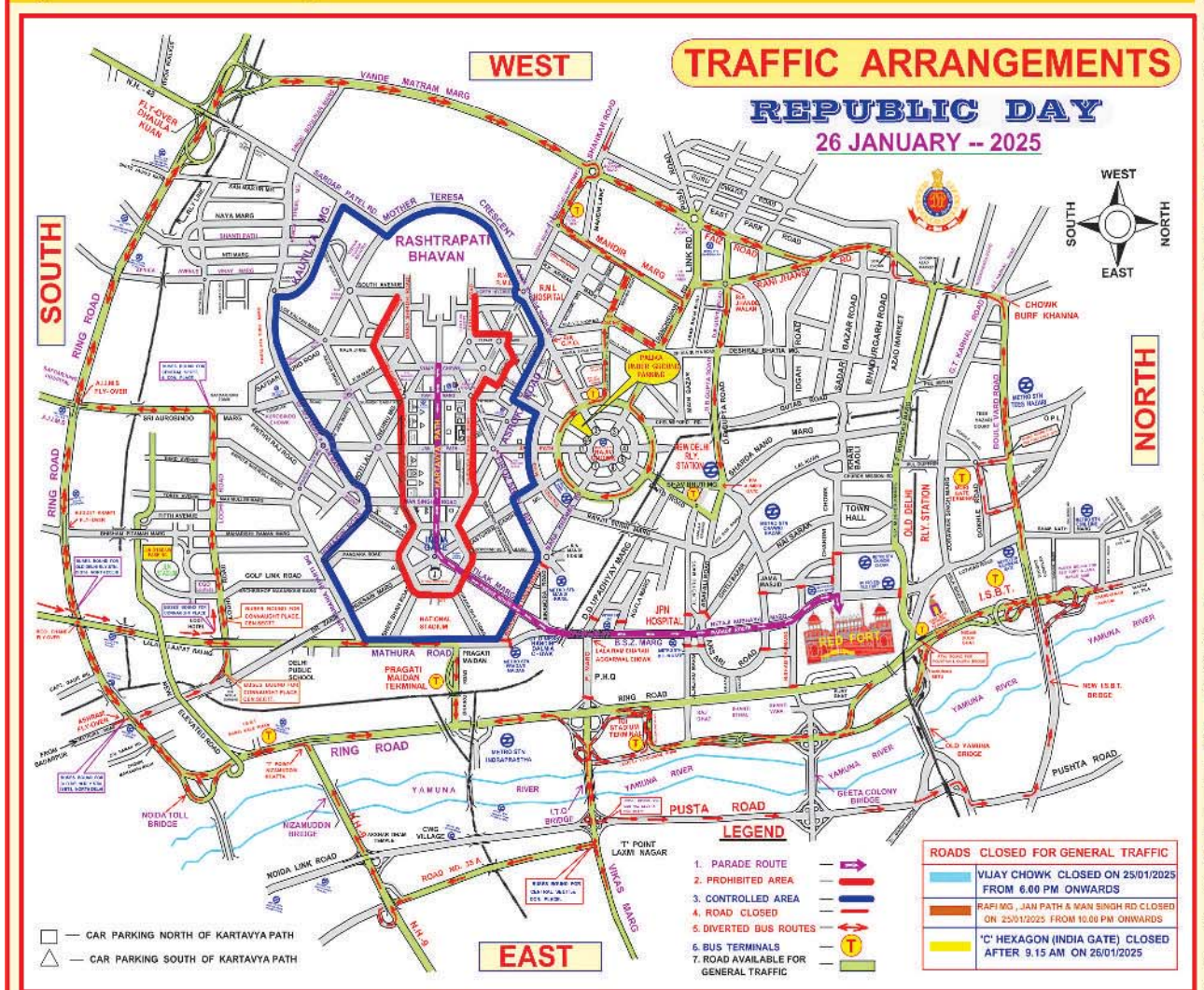

यातायात प्रतिबंध

परेड के सुचारू मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए, परेड के मार्ग की ओर जाने वाली कुछ सड़कों पर यातायात का आवागमन निम्नानुसार प्रतिबंधित रहेगा:

(1) 25.01.2025 को शाम 5 बजे से परेड खत्म होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्यपथ पर कोई यातायात की अनुमति नहीं होगी।

(2) 25.01.2025 को 2200 बजे से रफी मार्ग, जनपथ, मान सिंह रोड पर परेड समाप्त होने तक कर्तव्यपथ की ओर यातायात की अनुमति नहीं होगी।

(3) 'सी'–हेक्सागन–इंडिया गेट, 26.01.2025 को सुबह 09.15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पार होने तक यातायात के लिए बंद रहेगा।

(4) 26.01.2025 को सुबह 1030 बजे से तिलकमार्ग, बी.एस.जेड मार्ग और सुभाष मार्ग पर दोनों दिशाओं में यातायात की अनुमति नहीं होगी। परेड की आवाजाही के आधार पर केवल क्रॉस ट्रैफिक की अनुमति दी जाएगी।

सड़क उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे तदनुसार अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और अपनी सुविधा के लिए 0930 बजे से 1300 बजे तक परेड के मार्ग से बचें।

सुझाए गए मार्ग

हालाँकि, यदि यात्रा अपरिहार्य है, तो सड़क उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित मार्ग अपनाने की सलाह दी जाती है:

उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर

- रिंग रोड–आश्रम चौक–सराय काले खां–आई.पी. फ्लाईओवर–राजघाट–रिंग रोड।
- सफदरजंग मदरसा से–लोधी रोड 'टी' पॉइंट–अरबिंदो मार्ग–एम्स चौक–रिंग रोड–धौलाकुआं–वंदेमातरम मार्ग–शंकर रोड–पार्क स्ट्रीट या मंदिर मार्ग।

पूर्व–पश्चिम कॉरिडोर

- रिंग रोड–मैरों रोड–मथुरा रोड–सुब्रमण्यम भारती मार्ग–राजेश गायलट मार्ग–पृथ्वी राज रोड–सफदरजंग रोड–कमाल अतातुर्क मार्ग–पंचशील मार्ग–साइमन बोलिवर मार्ग–अपर रिज रोड / वंदेमातरम मार्ग।

या

- रिंग रोड–आईएसबीटी–चंदगी राम अखाड़ा–माल रोड–आजाद पुर–रिंग रोड।
- रिंग रोड–मैरों रोड–मथुरा रोड–लोधी रोड–अरबिंदोमार्ग–सफदरजंग रोड–तीनमूर्तिमार्ग–मदर टेरेसा क्रिसेंट–पार्क स्ट्रीट–शंकर रोड–वंदेमात्रम मार्ग।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए

- **दक्षिण दिल्ली से :** धौलाकुआं–वंदेमातरम–पंचकुइयां रोड–आउटर सर्कल कनॉट प्लेस–पहाड़गंज की ओर के लिए चेम्सफोर्ड रोड या अजमेरी गेट की ओर के लिए मिंटो रोड–मदभूतिमार्ग।
- **पूर्वी दिल्ली से :** आईएसबीटी ब्रिज के माध्यम से बुलेवार्ड रोड–रानी झाँसी फ्लाईओवर–राउन्डअबाउट झंडेवालान–डी.बी. गुप्ता रोड–शीला सिनेमा रोड–पहाड़गंज ब्रिज और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचें।

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए

- **दक्षिण दिल्ली से :** रिंग रोड–आश्रम चौक–सराय काले खां–रिंग रोड–राजघाट–रिंग रोड–चौक यमुना बाजार–एस.पी. मुखर्जी मार्ग–छत्ता रेल–कोडिया ब्रिज और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचें।

हालाँकि उत्तरी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले लोगों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा, फिर भी यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और संभावित देरी से बचने के लिए अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय लेकर चलें।

बस समाप्ति स्थान

सिटी बस सेवाओं की आवाजाही निम्नलिखित बिंदुओं पर समाप्त की जाएगी:

1.	पार्क स्ट्रीट / उद्यान मार्ग	2.	आराम बाग रोड (पहाड़गंज)
3.	आर / ए कनला मार्केट	4.	दिल्ली सचिवालय (आईजी स्टेडियन)
5.	प्रगति मैदान (मैरों रोड)	6.	हनुमान मंदिर (यनुन्ना बाजार)
7.	नोर्थ गेट	8.	आईएसबीटी कश्मीरी गेट
9.	आईएसबीटी सराय काले खां	10.	तीस हजारी कोर्ट

अंतर्राज्यीय बसों

(I) गाजियाबाद से शिवाजी स्टेडियम जाने वाली बसें एनएच–24, रिंग रोड से होकर मैरों रोड पर समाप्त होंगी।

(II) एनएच–24 से आने वाली बसें रोड नं. 56 पर दाहिनी ओर मुड़ेंगी और आईएसबीटी आनन्द विहार पर समाप्त होंगी।

(III) गाजियाबाद की ओर से आने वाली बसों को मोहन नगर से वजीराबाद ब्रिज के लिए भोपुराघुंगी की ओर मोड़ दिया जाएगा।

(IV) धौलाकुआं की ओर से आने वाली सभी अंतर्राज्यीय बसें धौलाकुआं पर समाप्त हो जाएंगी।

मेट्रो सेवाएँ

26 जनवरी, 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध रहेगी।

एचटीवी/एलजीवी

25.01.2025 को 2100 बजे से परेड समाप्त होने तक किसी भी एचटीवी / एलजीवी को दिल्ली की सीमाओं से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)।

26.01.2025 को सुबह 0730 बजे से 1330 बजे तक रिंग रोड पर किसी भी एचटीवी / एलजीवी को सराय काले खां आई.एस.बी.टी. और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गाजियाबाद

गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड का कर्तव्यपथ, दिल्ली में आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसके सुरक्षित समापन को सुनिश्चित करने के लिए, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनांक 25.01.2025 को रात्रि 2000 बजे से 26.01.2025 को कार्यक्रम समाप्ति तक निम्नलिखित मार्गों से गाजियाबाद सीमा से दिल्ली में सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों (हल्के / मध्यम / भारी) के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। डायवर्जन निम्न प्रकार से किया जायेगा।

1. यूपी गेट / गाजीपुर बॉर्डर, 2. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यूपी गेट / गाजीपुर बॉर्डर, 3. महाराज पुर / आनंद विहार बॉर्डर, 4. सीमा पुरी बॉर्डर, 5. डीएनएफ सोपुर बॉर्डर, 6. लोनी बॉर्डर, 7. ईडीएम मॉल रोड, 8. सूर्य नगर शाहदरा बॉर्डर, 9. तुलसी निकेतन बॉर्डर, 10. रेलधाम चौकी तिराहा, 11. अंकुर विहार बॉर्डर, 12. रामपुर तिराहा

फ़रीदाबाद

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिनांक 25.01.2025 समय रात्रि 09.00 बजे से 26.01.2025 समय 01.30 बजे तक फरीदाबाद एवं दिल्ली में सभी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

सभी गरिवहन एव वाणिज्यिक वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे पुलिस प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

- ✓ उत्तर प्रदेश और पलवल से आने वाले सभी भारी वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग केजीपी / केएमपी का उपयोग करना चाहिए। बदरपुर बॉर्डर, प्रह्लादपुर शूटिंग रेंज, मांगर होते हुए छारपुर जाने वाली दुर्गा बिल्डर रोड आदि समेत फरीदाबाद–दिल्ली की सभी सीमाओं पर प्रवेश वर्जित रहेगा।
- ✓ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की साइड पार्किंग वर्जित है। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

निम्नलिखित स्थानों पर यातायात पुलिस एवं स्थानीय पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जायेगी।

1. नाका सूरजकुंड चौक, 2. नाका दुर्गा बिल्डर, 3. नाका जेसीबी चौक, 4. नाका बदरपुर बॉर्डर, 5. नाका मंगर चौकी, 6. नाका सीकरी एनएच–19, 7. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मीठापुर दिल्ली के पास

गौतमबुद्ध नगर

गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में यातायात व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं:

दिल्ली पुलिस से प्राप्त निर्देशों के आधार पर 25 और 26 जनवरी 2025 को ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा।

दिल्ली से गौतमबुद्ध नगर तक की सीमाएँ: कालिंदी, डीएनडी, चिल्ला, न्यू अशोक नगर, वसुंधरा, झुंडपुरा और हरिदर्शन।

1. सुचारू यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत गौतमबुद्ध नगर से दिल्ली राज्य में मालवाहक वाहनों (भारी, मध्यम एवं हल्के) का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. यातायात प्रबंधन के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले से दिल्ली सीमा में प्रवेश करने वाले महत्वपूर्ण मार्गों – चिल्ला रेड लाइट बॉर्डर, डीएनडी बॉर्डर, कालिंदी कुंज बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस तैनात की जाएगी।
3. चिल्ला रेड लाइट (सीमा) से दिल्ली राज्य में प्रवेश करने वाले और अन्यत्र जाने वाले वाहन चिल्ला रेड लाइट से यू–टर्न लेंगे और नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे।
4. डीएनडी (सीमा) से दिल्ली राज्य में प्रवेश करने वाले और अन्यत्र जाने वाले वाहन डीएनडी टोल प्लाजा से यू–टर्न लेंगे और नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे।
5. कालिंदी कुंज यमुना (सीमा) से दिल्ली राज्य में प्रवेश करने वाले और अन्यत्र जाने वाले वाहनों को यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहा से डायवर्ट किया जाएगा और नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया जाएगा।
6. यमुना एक्सप्रेस–वे से दिल्ली राज्य की ओर जाने वाले मालवाहक वाहनों को जीरो चाइंट से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस–वे की ओर डायवर्ट किया जायेगा.
7. मुख्य सड़क पर कोई वाहन खड़ा न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस क्यूआरटी टीम तैनात की जाएगी।
8. विशेष परिस्थितियों में वाहनों को मुख्य मार्गों से हटाकर कुछ समय के लिए चिल्ला–शनि मंदिर रोड, पुस्ता रोड सेक्टर 94 और सेक्टर 44 सर्विस रोड पर पार्क किया जाएगा।
9. सुरक्षा कारणों से नोएडा स्थित डीएमआरसी मेट्रो स्टेशनों–बॉटनिकल गार्डन, सिटी सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बड़ी सेंचुरी पर पार्किंग खाली कराई जाएगी और बंद कर दी जाएगी।
10. ट्रैफिक सलाह और अपडेट ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क करके प्रदान किया जाएगा।

गुडगाँव

25.01.2025 को 2100 बजे से 26.01.2025 को गणतंत्र दिवस की परेड समाप्त होने तक किसी भी HTV/MGV/LGV को (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निम्नलिखित सीमा बिंदुओं से डायवर्जन किया जाएगा: 1. रजोकरी, 2. कापसहेड़ा, 3. आया नगर, 4. बजघेरा

द्वारका–हरियाणा सीमा

गणतंत्र दिवस–2025 समारोह के मद्देनजर, 26.01.2025 को गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ, दिल्ली में आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसे सुरक्षित संपन्न कराने के लिए कानून व्यवस्था एवं यातायात की व्यापक व्यवस्था की गयी है. सीमाओं पर ट्रैफिक डायवर्जन प्रभावी रहेगा। इसलिए, सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों (हल्के / मध्यम / भारी) को 2100 बजे (25.01.2025) से 1330 बजे (26.01.2025) तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निम्नलिखित सीमाओं में किया जायेगा डायवर्जन:–

मुख्य सीमाएँ: 1. टिकरी बॉर्डर, 2. झारोदा बॉर्डर, 3. ढांसा बॉर्डर, 4. दरौला बॉर्डर

आंतरिक सड़क / ग्राम सीमाएँ: 1. झटिकरा बॉर्डर, 2. नानाखेड़ी / बड़ुसरिया बॉर्डर, 3. सुरखपुर बॉर्डर

बहादुरगढ़ हरियाणा क्षेत्र में डायवर्जन योजना:–

1. टी–पाइंट सेक्टर–9, बहादुरगढ़ से बहादुरगढ़ बाईपास और केएमपी एक्सप्रेसवे, 2. बहादुरगढ़ बाईपास से केएमपी एक्सप्रेसवे तक यू–टर्न, 3. केएमपी एक्सप्रेसवे से केएमपी एक्सप्रेसवे के पास

गुरुग्राम हरियाणा क्षेत्र में डायवर्जन योजना

1. लोहट गांव से गुरुग्राम–बादली रोड, 2. धरमपुर चौक, सेक्टर–108, गुरुग्राम से गुरुग्राम–द्वारका एक्सप्रेस वे, 3. बाबूपुर चौक, सेक्टर–108, गुरुग्राम से द्वारका एक्सप्रेस वे

झज्जर

25.01.2025 को 2100 बजे से 26.01.2025 को गणतंत्र दिवस की परेड समाप्त होने तक किसी भी HTV/MGV/LGV को (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निम्नलिखित सीमा बिंदुओं से डायवर्जन किया जाएगा: 1. धनसा, 2. झारोदा, 3. टिकरी

सोनीपत

25.01.2025 को 2100 बजे से 26.01.2025 को गणतंत्र दिवस परेड समाप्त होने तक किसी भी HTV/MGV/LGV को (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निम्नलिखित सीमा बिंदुओं से डायवर्जन किया जाएगा:– 1. ओचंडी, 2. सिंघु

26.01.2025 को सुबह 0730 बजे से 1330 बजे तक रिंग रोड पर किसी भी एचटीवी / एलजीवी को सराय काले खां आई.एस.बी.टी. और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आम जनता के लिए निर्देश

यदि कोई अज्ञात या संदिग्ध वस्तु / व्यक्ति दिखाई देता है, तो ड्यूटी पर निकटतम पुलिसकर्मी को जानकारी दी जानी चाहिए।

पैरा–ग्लाइडर, पैरा–मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, नाइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि जैसे उप–पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों से उड़ान 01.02.2025 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रतिबंधित है।

आम जनता और मोटर वालकों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के